वादपत्रों के स्थिरीकरण के लिए प्रतिवादी को सम्मान

आदेश 5 नियम 1 व 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

[व्यवहार प्रक्रिया संहिता के परिशिष्ट 'ख' का फॉर्म संख्या 1]

न्यायालय श्रीमान् .....

..... **बनाम** .....

व्यवहार वाद संख्या सन् 20

विरुद्ध : .....

.....

.....

.....

चूंकि .....वादी..... ने आपके विरुद्ध .....नकल संलग्न..... है -

के लिए एक वाद संस्थित किया है अतः आपको एतद् द्वारा आहूत किया जाता है कि आप या तो स्वयं या ऐसे अधिवक्ता जो कि सम्यक रूपेश अनुदिष्ट हों व वाद संबंधी सब सारवान प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो या जिनके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कि ऐसे सब प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो, के द्वारा दिनांक ...../...../20..... के दिवस को ..... बजे दावे का उत्तर देने हेतु इस न्यायालय में उपस्थित हो और आगे आपको एतद्द्वारा यह भी निर्देश दिया जाता है कि उस दिन आप अपने प्रतिरक्षा का लिखित कथन पेश करें और उसे दिन वे सब प्रलेख जो आप के आधिपत्य या अधिकार में हो व जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा व प्रतिपादन या प्रतिदावा आधारित करते हो भी प्रस्तुत करें तथा जहां आदेश किसी अन्य प्रलेख कि आपके आधिपत्य या अधिकार में हो या न हो गर अभी प्रतिरक्षा या प्रतिवेदन या प्रतिदावा के समर्थन में साक्ष्य के रूप में भरोसा रखते हों उन प्रलेखों की अपने लिखित कथन के साथ उपाबन्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

सूचित रहे कि पूर्व वर्णित दिवस को आपके द्वारा अपनी उपस्थिति में व्यतिक्रम होने पर कथित वाद आपकी अनुपस्थिति में सुना व अवधारित किया जावेगा ।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया ।

न्यायाधीश

सूचना :

1. यदि आपको यह शंका हो कि आपके साक्षी अपनी इच्छा से उपस्थित नहीं होंगे तो आप किसी साक्षी को उपस्थित होने हेतु विवश करने के लिए किसी ऐसे प्रलेख को प्रस्तुत करने हेतु जिससे कि प्रस्तुत कराने हेतु साक्षी को समाहूत करने के लिए आपको अधिकार है, आप इस न्यायालय में आवेदन करके आवश्यक व्यय का निक्षेप करके साक्षी के प्रति इस न्यायालय से समन जारी करा सकते हो ।
2. यदि आप इन्ते की स्वीकारोक्त करते हो तो आप दावे के व्यय सहित इस न्यायालय में जमा करावे ताकि किसी ऐसे व्यक्ति जो कि आपने स्वयं के या आपकी संपत्ति या दोनों के सिवाय हो कि निष्पादन व परिवर्जित हो जाए ।